कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30/04/2017.

क्रमांक–1302/69 /आउशि/सम्बद्धता/17 : महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	माँ भाग्यवर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति,पन्ना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महाराजा अग्रसेन महा0ग्राम पंचायत पुरूषोत्तमपुन पन्ना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1–बी0ए0–हिन्दी,राजनीति,समाजशास्त्र 2–बी0एससी–कम्प्यूटर साइंस,भौतिक,गणित
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	——
5	आदेश कमांक – 584/378/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	समिति का नाम भाग्यवर्धिनी शिक्षा समिति है जबकि 30 वर्षीय लीजडीड में समिति का नाम भाग्यावर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति अंकित है। भूमि डायवर्सन व्यवसायिक उपयोग के लिये है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति की गई
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	

	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1–बी0ए0–हिन्दी,राजनीति,समाजशास्त्र 2–बी0एससी–कम्प्यूटर साइंस,भौतिक,गणित
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	——निरंक——

4 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है,कि संस्था द्वारा कालेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियाँ अनिवार्य रूप से कर ली जाय।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–1308/69/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक–30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,सागर संभाग,सागर (म0प्र0)।
4– कुल सचिव,महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय,छतरपुर (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

क्रमांक–1361/128/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2.महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध संस्था द्वारा प्रथम 'रिव्यू' दर्ज नहीं किया गया। संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3.द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मॉ विन्ध्यवासिनी शिक्षा समाजोत्थान समिति, ढाना सागर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	द्रोणाचार्य एकेडमी, ढाना सागर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0काम0–प्रथम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	निरंक
5	आदेश कमांक – 580/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कोड 28 प्रकियाधीन , वेतन भुगतान बैंक से किये जाने के दस्तावेज अप्राप्त।
6	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	महा0 भवन में एनसीटीई के पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित है सामान्य पाठ्यक्रम हेतु पृथक भवन नहीं है, अतः एक ही भवन में एनसीटीई के पाठ्यक्रम तथा सामान्य पाठ्यक्रम नियमानुसार संचालित नहीं किये जा सकते है अतः नवीन पाठ्यक्रम अमान्य ।
7	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	

	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0–प्रथम

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 1369/128/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, छतरपुर, (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, महाराजा छत्रशालविश्वविद्यालय, छतरपुर , (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

क्रमांक–1359/43/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3.द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सिख एजुकेशन सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	हरीसिंह रूपरहा कला वाणिज्य एवं विधि महा0 केंट जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	निरंक
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–द्वितीय,इतिहास, राजनीति,अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र 2. बी0काम0–द्वितीय कम्प्युटर एप्ली0
5	आदेश कमांक – 580/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कॉलेज कोड–में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं एवं आवेदित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियॉ नहीं है। वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का प्रमाण नहीं। ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किया जा रहा है तथा नियमानुसार ईपीएफ कटोत्रा नहीं किया जा रहा है

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में 5 विद्यार्थी अध्ययनरत है। प्राचार्य सहित 3 नियुक्तियां है।	
8	**द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय**		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मो के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1. बी0ए0–द्वितीय,इतिहास, राजनीति,अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र 2. बी0काम0–द्वितीय कम्प्युटर एप्ली0
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकर्मों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	निरंक

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त के साथ जारी किया जाता है कि संस्था द्वारा एक माह में कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियॉ अनिवार्य रूप से कर ली जाये। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–1360 /43/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

———की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.